–: अल्पकालीन ऋण वितरण योजना :–

कृषक को अपनी कृषि भूमि पर फसल उत्पादन, उत्पादन के बाद कटाई, स्टोरेज, विपणन, कृषि यंत्रों के रखरखाव एवं कृषक की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक अपनी सहकारी समितियों के द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है । जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

1. किसान/कृषक सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी होना चाहिए ।
2. भुमिधारक कृषक को सहकारी समिति का सदस्य बनना होगा ।
3. सदस्य बनाते समय उसकी उम्र वारिस का नाम, सम्बन्ध आदि सुचनायें के.वाई.सी. नॉर्मस के आधार पर प्राप्त करनी होगी ।
4. सदस्य समिति से साख सीमा हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर स्वंय के नाम/हिस्से की जमीन का ब्यौरा क्षेत्र के पटवारी से अंकित करवाकर समिति को प्रेषित करेगा ।
5. पैक्स/लेम्पस सर्वप्रथम समिति के संचालक मण्डल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित करेगी कि संचालक मण्डल सदस्यता एवं ऋण वितरण कराने हेतु व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष को अधिकृत करता है ।
6. व्यवस्थापक आवेदन प्राप्त कर पत्र में अंकित भूमि अनुसार सदस्य की साख सीमा की गणना कर समिति अध्यक्ष को अनुशंषा हेतु प्रस्तुत करेगा ।
7. अध्यक्ष समिति की अनुशंषा पश्चात व्यवस्थापक आवेदन पत्र शाखा पर प्रस्तुत करेगा, जिसे स.अ.अ./ऋण पर्यवेक्षक जांच कर स्वीकृति हेतु अपनी सिफारिश कर शाखा प्रबन्धक को प्रस्तुत करेगा ।
8. शाखा प्रबन्धक साख सीमा को स्वीकृत करेगा । स्वीकृत साख सीमा की प्रपत्र 1 में सूची तैयार कर समिति को सूचना करेगा कि इतनी राशि की साख सीमा स्वीकृत की गई ।
9. स.अ.अ./ऋण पर्यवेक्षक सदस्यों के बैंक खातों में स्वीकृत साख सीमा का इन्द्राज कर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा । साख सीमा इन्द्राज करते वक्त राशि में अधिलेखन नहीं होनी चाहिए । अगर गलत इन्द्राज हो गया तो उसे गोला कर पुनः लिखेंगे ।
10. व्यवस्थापक सदस्यों को किसान कार्ड एवं चेक बुक इश्यु करेगा, चेक बुक को चेक बुक इश्यु रजिस्टर में इन्द्राज कर सदस्य के हस्ताक्षर कराकर देगा । तथा किसान कार्ड में स्वीकृत साख सीमा का इन्द्राज करेगा । इश्यु चेक बुक के नम्बरों का सदस्य के खाते में इन्द्राज करेगा ।
11. सदस्यों की स्वीकृत साख सीमा अनुसार ऋण आहरण हेतु **8** प्रतिशत से हिस्सा राशि जमा करानी होगी ।
12. शाखा पर सदस्य का परिचय पत्र (आईडेन्टि कार्ड) तैयार कराया जावेगा । जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र/जन्म दिनांक, निवासी, पता, टेलीफोन नम्बर, खाता संख्या आदि का उल्लेख होगा । सदस्य का हाल ही में खिंचा गया रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो लगाना होगा । जिस पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे । जिसे व्यवस्थापक समिति प्रमाणित करेगा ।

13. साख सीमा स्वीकृति के पश्चात सदस्य अपनी आवश्यकता अनुसार फसलवार समयावधि में कभी भी ऋण प्राप्त करने के लिए अपना किसान कार्ड एवं चेक बुक लेकर बैंक में स्वंय को उपस्थित होना होगा और चेक द्वारा नगद ऋण राशि का आहरण कर सकेगा । सदस्य स्वीकृत साख सीमा का एक बार या अधिक बार में आहरण कर सकेगा परन्तु स्वीकृत फसल की साख सीमा से अधिक का आहरण नहीं कर सकेगा । फसलवार साख सीमा अन्तर्गत आहरण का समय निम्नानुसार होगा :-

खरीफ फसल हेतु	1 अप्रेल से 31 अगस्त तक
रबी फसल हेतु	1 सितम्बर से 28 फरवरी तक

14. सदस्य अपनी आवश्यकता अनुसार खाद बीज समिति से प्राप्त कर बिल अनुसार राशि का चैक व्यवस्थापक को देगा । व्यवस्थापक बिल की एक प्रति सदस्य को देगा तथा दूसरी प्रति चेक के साथ संलग्न कर खाद बीज वितरण का स्टेटमेंट तैयार कर समिति की पुस्तकों में जमा खर्च कर बैंक को ऋण राशि ट्रांसफर करने के लिए प्रस्तुत करेगा। शाखा पर स.अ.अ./ऋण पर्यवेक्षक "बी" कम्पोनेंट के चेकों का बैंक में सदस्यों के खातों में इन्द्राज कर अपनी सिफारिश सहित शाखा प्रबन्धक को प्रस्तुत करेगा । जिसे शाखा प्रबन्धक अल्पकालीन ऋण खाते नामे माण्डकर समिति के हाईपोथिकेशन या बचत खाते में ट्रांसफर कर स्टेटमेंट की दूसरी प्रति पर ट्रांसफर करने की दिनांक अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर समिति को सूचित करेगा । जिसके आधार पर समिति व्यवस्थापक समिति के लेखों में बैंक से ऋण प्राप्त करने का जमा खर्च करेगा ।

15. शाखा प्रबन्धक "ए" कम्पोनेंट चेकों का नगद भुगतान कर उस दिन के समस्त चेकों का स्टेटमेंट (प्रपत्र) 2 प्रतियों में तैयार कर एक प्रति अपने हस्ताक्षर सहित समिति व्यवस्थापक को उपलब्ध करायेगा । जिसके आधार पर व्यवस्थापक समिति की पुस्तकों में जमा खर्च करेगा ।

16. समिति में सदस्यों द्वारा जमा करायी गई राशि को व्यवस्थापक वसूली स्टेटमेंट तैयार कर बैंक में जमा करायेगा, वसूली स्टेटमेंट के अनुसार बैंक में सदस्यों के खातें में जमा किया जावेगा ।

17. ऋणी सदस्य का दुर्घटना बीमा, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा, फसल/मौसम आधारित फसल बीमा कराना आवश्यक होगा । जिसकी स्वीकृति सदस्य आवेदन पत्र में देगा । (व्यवस्थापक बीमा कराकर प्रिमियम राशि सदस्य के ऋण खाते में नामे माण्डेगा । बीमा नहीं कराने के कारण अगर दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई क्षति के लिए व्यविसथापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा)

(18) लघु सीमान्त कृषक

(19) SC ST. महिला अल्पसंख्यक